न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 129 सन 2021

अनवान :–

1. ताराचन्द पुत्र डुगरराम पुत्र मामराज जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. डुगरराम पुत्र मामराज जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल
श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता गैरसायल–1

निर्णय दिनांक :– 27/04/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 के खसरा न0 327 की 9.4470हैक एवं रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक जिसके पूर्व में सायल के दादा मामचन्द पुत्र हुणताराम खातेदार काश्तकार थे।

सायल के दादा मामचन्द पुत्र हुणताराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं गैरसायल संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक मे से सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 की कुल 9.4470हैक में से सयुक्त तौर से 5623/18894 हिस्सा भूमि आई है।

उक्त भूमि वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है जो कर्ता हिन्दु खानदान की हैसियत से दर्ज है गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में सायल का जन्म से हक हिस्सा है तथा वाद भूमि में सायल गेरसायल संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि में सायल व गैरसायल बहिब के खातेदार काश्तकार है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है गैरसायल संख्या 1 व्यसनी व्यक्ति है जो वाद भूमि अपने नाम दर्ज रहने का फायदा उठाकर रहन बेय कर सकता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद भूमि को वाद के निस्तारण होने तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं रहन बैय करने से निषिद्व रहे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 की कुल 9.4470हैक मे से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 5623/18894 हिस्सा एवं रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक में से सयुक्त तौर 1/3 हिस्सा दर्ज है को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की वादग्रस्त भूमि में सायल का किसी कदर कोई हक व हिस्सा नही है ना ही सायल किसी कदर न्यायालय से कोई धोषणा करवाने का अधिकारी है। सायल ने गैरसायल संख्या 1 पर मनगढत आरोप लगाये जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है उतरदाता वाद भूमि को रहन बेय नही करना चाहता है सायल गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है उतरादाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मिन उतरदाता के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है सायल एक

झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है तथा उसने मिन उतरदाता को घर से निकाल रखा है ना ही उसका कोई भरण पोषण कर रहा है जबरिया भूमि काश्त करता है तथा उक्त स्थगन की आड में नाजायज फायदा उठा रहा है अतः सायल गैरसायल के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 का जबाब शमिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 के खसरा न0 327 की 9.4470हैक एवं रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक जिसके पूर्व में सायल के दादा मामचन्द पुत्र हुणताराम खातेदार काश्तकार थे।

सायल के दादा मामचन्द पुत्र हुणताराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं गैरसायल संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक मे से सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 की कुल 9.4470हैक में से सयुक्त तौर से 5623/18894 हिस्सा भूमि आई है।

उक्त भूमि वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है जो कर्ता हिन्दु खानदान की हैसियत से दर्ज है गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में सायल का जन्म से हक हिस्सा है तथा वाद भूमि में सायल गेरसायल संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि में सायल व गैरसायल बहिब के खातेदार काश्तकार है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है गैरसायल संख्या 1 व्यसनी व्यक्ति है जो वाद भूमि अपने नाम दर्ज रहने का फायदा उठाकर रहन बेय कर सकता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद भूमि को वाद के निस्तारण होने तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं रहन बैय करने से निषिद्व रहे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 की कुल 9.4470हैक मे से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 5623/18894 हिस्सा एवं रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक में से सयुक्त तौर 1/3 हिस्सा दर्ज है को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे व न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (12)2005 पेज 405 से 408 पेश किया गया।

गैरसायल संख्या 1 ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि में सायल का किसी कदर कोई हक व हिस्सा नही है ना ही सायल किसी कदर न्यायालय से कोई धोषणा करवाने का अधिकारी है। सायल ने गैरसायल संख्या 1 पर मनगढत आरोप लगाये जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है उतरदाता वाद भूमि को रहन बेय नही करना चाहता है सायल गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है उतरादाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मिन उतरदाता के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है सायल एक झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है तथा उसने मिन उतरदाता को घर से निकाल रखा है ना ही उसका कोई भरण पोषण कर रहा है जबरिया भूमि काश्त करता है तथा उक्त स्थगन की आड में नाजायज फायदा उठा रहा है अतः सायल गैरसायल के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि पैतृक है या स्वअर्जित भूमि है जिसमें सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 की कुल 9.4470हैक मे से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 5623/18894 हिस्सा एवं रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक में से सयुक्त तौर 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल के नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि उनके पूर्वजों के देहान्त होने पर विरास्तन से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है गैरसायल संख्या 1 ने अपने जबाब में उक्त कथन को कोई प्रतिरोध नही किया है मात्र वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार होने का कथन अंकित किया गया है यह तथ्या तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार

पर ही तय हो सकता है कि वाद भूमि पैतृक है या स्वअर्जित जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा है या नही अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में पाया जाता है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है सायल का कथन है कि गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज होने से सायल के हकों को नुकसान पहुचानें की नियत से कभी भी रहन बैय या अन्य प्रकार से अन्तरण कर सकता है।

सायल का कथन उचित प्रतित होता है क्योकि गैरसायल संख्या 1 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करने के लिये स्वतन्त्र है यदि गैरसायल के द्वारा वाद में हकों का निर्धारण होने से पूर्व वाद भूमि का अन्तरण किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिये वाद में हकों का निर्धारण होने तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है तथा सायल के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी प्रकरण पर चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि भूमि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 236/223 की कुल 9.4470हैक मे से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 5623/18894 हिस्सा एवं रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 421/421 की कुल 2.3400हैक में से सयुक्त तौर 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल के नाम की रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाई रखी जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)